न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 40 / 2025(GCMS 2025/238)
(RTI No. 212798982498509)

श्री सुरेश कौल पुत्र श्री मनमोहन कौल साकिन वार्ड सं. 32 मिनि मार्केट सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 63501–27668)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

13.08.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी से सूचना वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुरेश कौल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. सूरतगढ़ में मानकसर चौराहे के पास रोही सूरतगढ़ में तथाकथित वक्फ बोर्ड के नाम कितनी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, की प्रमाणित फोटो मय नक्शा उपलब्ध करावें।
2. सूरतगढ़ में मानकसर चौराहे के पास रोही सूरतगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम दिशा में तथाकथित वक्फ बोर्ड द्वारा 30 दुकानों के निर्माण के लिए जारी निर्माण स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावली मय नक्शा की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
3. सूरतगढ़ में मानकसर चौराहे के पास रोही सूरतगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम दिशा में तथाकथित वक्फ बोर्ड द्वारा 30 दुकानों व आसपास की भूमि सूरतगढ़ तहसील [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो – करीब 4–5 माह पूर्व [illegible] 30 [illegible] के अवैध निर्माण करने पर राजस्व विभाग सूरतगढ़ द्वारा दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अतिक्रमण धवस्त करने सम्बन्धी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 40/2025
(GCMS No. 2025/238)
(RTI No. : 212798982498509)

> जारी नोटिस/कानूनी कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
>
> 4. सूरतगढ में मानकसर चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम दिशा में जो वक्फ बोर्ड के नाम पर व्यवसायिक 30 दुकानों का निर्माण करने से पूर्व उक्त कृषि भूमि को व्यवसायिक में कन्वर्ट करने की राजस्थान सरकार द्वारा जारी स्वीकृति की समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
> 5. सूरतगढ़ में मानकसर चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम दिशा मे जो वक्फ बोर्ड के नाम पर व्यवसायिक 30 दुकानों का निर्माण करने से पूर्व उक्त कृषि भूमि को व्यवसायिक में कन्वर्ट नहीं करवाने पर, उक्त अवैध निर्माण हटाने के लिए जारी समस्त नोटिस की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक 2267 दिनांक 28.05.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गयी सूचना निम्न प्रकार से है :
>
> 1. मुताबिक रिपोर्ट पटवारी कस्बा सूरतगढ़ में जमाबंदी सम्वत् 2068–71 अनुसार खाता संख्या 225 में खसरा संख्या 352 में 4.153 है. बारानी भूमि राजस्थान बॉर्ड ऑफ जयपुर, वक्फ कमेटी श्रीगंगानगर माफी दरगाह के नाम से दर्ज है। जमाबंदी एवं नक्शा की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।
> 2. मुताबिक रिपोर्ट अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़, सूरतगढ़ में माणकसर के चौराहे के पास रोही सूरतगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिमी दिशा में त[illegible] वक्फ बोर्ड द्वारा 30 दुकानों के निर्माण के लिए निर्माण स्वीकृति [illegible] सम्बन्धित कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
> 3. बिन्दु संख्या 3 से संबंधित कोई कार्यवाही इस कार्यलय द्वारा नहीं की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 40 / 2025
(GCMS No. 2025/238)
(RTI No. : 212798982498509)

> 4. मुताबिक रिपोर्ट अधिशसी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ प्रासंगिक वक्फ बोर्ड से संबंधित भूमि में व्यवसायिक कन्वर्ट से संबंधित कोई पत्रावली रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।
> 5. मुताबिक रिपोर्ट अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ प्रासंगिक भूमि में नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक 2267 दिनांक 28.05.2025 से अपीलार्थी को उक्तानुसार दिया है। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 17.02.2025 को आवेदन प्रस्तत किया था, जिसकी सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 28.05.2025 को उपलब्ध करवाई गई है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को 30 दिवस में सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। **अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना समय पर उपलब्ध न करवाना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ।** चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 7 दिवस में पंजीकृत पत्र द्वारा, वांछित बिन्दुवार सूचना, जो आपके कार्यालय में उपलब्ध है, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर अपीलाथी को पुनः निःशुल्क प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर